न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
06/2016/प्रा.पत्र/2016	08.01.2016	17.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम ....आवेदक

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी मेहन्दवास गेट पुरानी टोंक जिला टोंक मैसर्स अब्दुल रशीद रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के सामने एन.एच–12 टोंक जिला टोंक

2–मैसर्स अब्दुल रशीद रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के सामने एन.एच–12 टोंक जिला टोंक

3–श्री रमेश सिंह रावत नॉमिनी मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा. लि. कालाडेरा प्लान्ट, प्लॉट नं. एस.पी. 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह. चौमू जिला जयपुर राज.

4–मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा. लि. कालाडेरा प्लान्ट, प्लॉट नं. एस.पी. 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह. चौमू जिला जयपुर राज.

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर व आशीष टांक उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 17.07.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.05.2015 को समय 03:14 पी.एम पर मैसर्स अब्दुल रशीद रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया के सामने एन.एच–12 टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल मजीद मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अब्दुल रशीद ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु कागज के 30 कार्टूनों में लगभग 720 बोतल **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (स्प्राईट ब्राण्ड)** की 750 मिली पैक की बोतलें रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अब्दुल रशीद को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (स्प्राईट ब्राण्ड)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

इके बैच नम्बर ई.11.ए.1सी.21 एवं पैकिंग की दिनांक 12.05.2015 थी, वास्ते मानक स्तर की
ा करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 750 मिली पैक की 16 बोतल खरीदा, जिसकी कीमत
सा को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (स्प्राईट ब्राण्ड)** 50 मिली पैक की 16 बोतल के 4–4 बोतल वाले चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1025 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1025 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल मजीद ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा. लि. कालाडेरा प्लान्ट, प्लॉट नं. एस.पी. 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह. चौमू जिला जयपुर राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त पेय पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3354 दिनांक 18.09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1315/एक्ट/2015/816 दिनांक 24.08.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (स्प्राईट ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री आशीष टांक उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि प्रकरण में विस्तृत जवाब पूर्व में दिया जा चुका है। अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फा.स. 1–94(1) एफ.एस.एस.ए.आई./एस.पी. (लेबलिंग)/2014 दिनांक 11.09.2017 द्वारा उक्त विनियम में किये गए संशोधन के अनुरूप शर्करा की मात्रा को लेबल पर अंकित किये जाने के प्रावधान को विलोपित किये जाने से सहमत होकर यह विवेचना की है कि शर्करा की मात्रा को अब गैर एल्कोहॉलिक कार्बोनेटेड बेवरेज के लेबल पर अंकित करना अनिवार्य नहीं है। अतः इस प्रकरण की कार्यवाही उक्त राजपत्र संशोधन दिनांकित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

09.2017 के तहत समाप्त की जा कर ड्रॉप की जावें एवं न्याय निर्णयन प्रार्थना पत्र खारिज फ़रमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अप्रर्थीगण की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि चूंकि उक्त **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (स्प्राईट ब्राण्ड)** नमूना जांच हेतु दिनांक 23.05.2015 को लिया गया था, उस समय शर्करा की मात्रा लेबल पर अंकित करना अनिवार्य था एवं भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र इसके पश्चात् दिनांक 11.09.2017 को जारी कर लेबल पर शर्करा की मात्रा को अंकित करने की अनिवार्यता समाप्त की है। अतः नमूना क्रय करने की दिनांक को उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत **मिथ्याछाप (Misbranded)** की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (स्प्राईट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/-(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0